कर्मचारी राज्य बीमा निगम
EMPLOYEES' STATE INSURANCE COPORATION
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

क.रा.बी.नि.
E.S.I.C

सत्यमेव जयते

उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम
Sub Regional Office Gurugram
प्लाट सं.- 47, सेक्टर- 34/Plot No.-47, Sector-34
गुरुग्राम, हरियाणा/Gurugram, Haryana – 122001
दूरभाष/Tel: 0124-4085695
ई-मेल/Email: sro-gurgaon@esic.nic.in
वेबसाइट/Website : www.esic.nic.in

सं.-51/2023/राजभाषा(प्रो.यो.) दिनांक- /01/2026

परिपत्र

विषय- निगम इकाईयों में प्रचलित हिन्दी प्रयोग प्रोत्साहन योजना - वर्ष 2025

उपरोक्त विषयांतर्गत मुख्यालय पत्रांक ए-49/16/2/2021-रा.भा. दिनांक 08.01.2026 के अनुसार निगम कार्यालयों में हिन्दी प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए हिन्दी प्रयोग प्रोत्साहन योजना लागू है जो प्रत्येक वर्ष **01 जनवरी से 31 दिसम्बर** तक की अवधि के लिए होती है। उक्त योजना के अंतर्गत पूरे कैलेण्डर वर्ष के दौरान निर्धारित प्रतिशतता **(राजभाषा क्षेत्र "क" में स्थित कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के लिए 100 प्रतिशत)** में कार्यालयी कामकाज हिन्दी में करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को 1200/- रुपये के नकद पुरस्कार देने का प्रावधान है।

वर्ष-2025 के दौरान जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने निर्धारित प्रतिशतता तक/से अधिक कार्यालयी कामकाज हिन्दी में किया है वे **दिनांक 27/01/2026(मंगलवार)** तक निम्नानुसार प्रपत्र में राजभाषा शाखा में प्रस्तुत करें: –

कर्मचारी राज्य बीमा निगम - हिन्दी प्रयोग प्रोत्साहन योजना के लिए प्रविष्टि प्रपत्र

अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पदनाम :

शाखा/शाखा कार्यालय का नाम :

(01 जनवरी, 2025 से 31 दिसम्बर, 2025) :

अधिकारी/कर्मचारी द्वारा घोषणा पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष-2025 के दौरान मैनें टिप्पण/आलेखन में निर्धारित प्रतिशतता (100 प्रतिशत) तक/से अधिक कार्यालयी कार्य हिन्दी में किया है। इस अवधि में मैंने न तो केवल टंकण/डायरी-डिस्पैच का कार्य किया है और न ही मैं राजभाषा शाखा में तैनात था।

दिनांक- आवेदक के हस्ताक्षर

नियंत्रक/रिपोर्टिंग अधिकारी के मुहर सहित प्रति हस्ताक्षर

Digitally signed by Sweety Yadav
Date: 20-01-2026 12:33:17

(डॉ. स्वीटी यादव)
सहायक निदेशक(रा.भा.)

सेवा में,

1. सभी शाखाधिकारी/शाखाएं/कार्यालय अधीक्षक, उप क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम गुरुग्राम को सादर सूचनार्थ।
2. सभी शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, मानेसर/डुंडाहेड़ा/सिविल लाइन्स/धारूहेड़ा, क.रा.बी. निगम को सादर सूचनार्थ।
3. वैयक्तिक सहायक कक्ष/सूचना पट्ट।